संक्षिप्त

जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरूवार को

सीकर । जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने आदेश जारी कर 14 नवम्बर गुरूवार को जिले के समस्त उपखण्डों में प्रातः 10 बजे से सायं 4.30 बजे तक ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई के लिए अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया जावेगा। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा राज्य स्तर से वी.सी के माध्यम से अटल जन सेवा शिविर का पर्यवेक्षण किया जायेगा। अटल जन सेवा शिविर के सुचारू व सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन व ब्लॉक स्तर पर उप खण्ड अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। अटल जन सेवा शिविर के निरीक्षण के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किये गये है।

तम्बाकू निषेध की शपथ दिलाई

चूरू। बाल विकास परियोजना अधिकारी चूरू-ग्रामीण की ओर से कार्यालय परिसर में मंगलवार को सात सैक्टर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला पर्यवेक्षकों ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी के सर्वे क्षेत्र के लाभार्थियों का वजन व लंबाई लेने का प्रशिक्षण दिया गया। परियोजना की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पाबंद किया गया, कि वे अपने-अपने सर्वे क्षेत्र के सभी बच्चों का सही वजन व लंबाई लेकर ही पोषण ट्रैक्कर पर दर्ज करें। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को तम्बाकू निषेध की शपथ दिलाई गई और अपने आस-पास व परिचितों द्वारा तम्बाकू उत्पाद काम में नहीं लेने के लिए समझाइश करने की सलाह दी गई।

सीवरेज जल के बताये लाभ

रतनगढ़,(निसं)।राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ शहर में आमजन की सुविधा हेतु सीवरेज प्रणाली के विकास के लिये विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ ही इन कार्यों के प्रति आमजन की सहभागिता, सुनिश्चित करने तथा समय-समय पर विभिन्न विषयों पर जन-जागरूकता कार्यक्रम भी करवाये जाते है। इसी क्रम में अधिशाषी अभियन्ता आर डी गर्ग के निर्देशन मे वार्ड 28 के आंगनवाडी केन्द्र मे महिला समूह बैठक आयोजित की गई।बैठक मे जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़. सीवरेज परियोजना एवं जल निकासी परियोजना के लाभ बताते हुए सीवरेज के रखरखाव के बारे मे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि स्नानघर व रसोई मे जाली जरुर लगाए व प्लास्टिक की थैलियां प्रयोग कर नाली मे न डाले। आंगनवाडी कार्यकर्ता सरोज स्वामी ने गर्भवती महिलाओं के देखभाल के बारे मे बताया। बैठक मे एल एंड टी कम्पनी से काजल सांखला व कविता स्वामी ने भी भाग लिया।

निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित

उदयपुरवाटी । निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोरियाँ की ढाणी में प्रधानाचार्य आशा टांक की अध्यक्षता में निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में समाजसेवी पवन सैनी ने कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन करने वाले बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर पंचायत शिक्षक बीरबल सैनी ने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों के हित में किया गया सहयोग कभी व्यर्थ नहीं जाता, जिस प्रकार किसान के खेत में धान का एक बीज बोया जाता है तो वह कई गुना उत्पादन देता है। इसी प्रकार से दान करने से धन में वृद्धि होती है तथा दुआएं मिलती हैं। प्रधानाचार्य आशा टांक ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान व्याख्याता अनिता सैनी, वरिष्ठ अध्यापक कांता, माया सैनी, अध्यापक राजूराम, जितेंद्र सिंह कल्याण, चंदगी राम सैनी सहित विद्यालय के समस्त विद्यार्थी मौजूद रहे ।

भारत के प्रतिनिधित्व होगे : सिद्धार्थ

सीकर। एनएच 52 स्थित स्वामी केशवानन्द पी.जी. कॉलेज भढाडर सीकर का छात्र सिद्धार्थ दूदवाल ताईवान में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल आर्चरी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। जानकारी देते हुए प्राचार्य ललित किशोर तंवर ने बताया एम.ए. राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष का छात्र सिद्धार्थ दूदवाल एनटीएसयू एरेना ताईवान में आयोजित ओपन आर्चरी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। ज्ञात रहे इससे पूर्व भी संस्थान के छात्र इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके है।

आंगनबाडी कार्यकर्ता पर मजदूरी तथा पैकिंग के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप

- महिला ने आंगनबाडी कार्यकर्ता के खिलाफ धोखाधडी करने का आरोप लगाकर करवाया मामला दर्ज
- घर बैठकर महिलाओं से आधार कार्ड व दस्तावेज लेकर खोले खाते
- महिलाओ की मर्जी के बिना लेन देन करने का आरोप

धोखाधडी करने पर राजगढ थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाती पीडित महिला ।

सादुलपुर, (निसं)। कस्बा राजगढ के वार्ड 12 दमामियों की ढाणी में एक दर्जन से अधिक महिलाओ को पैकिंग के काम के बहाने झूठ बोलकर बैंक में खाता खुलवाने तथा धोखाधडी करने और षड्यंत्र रचकर पैसों का लेनदेन करने तथा बिना मर्जी के खाते से पैसे निकालने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मंगलवार शाम 5 बजे मिली जानकारी में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाझडिया ने बताया कि दर्ज मामले में सायरा बानो पत्नी मोहम्मद रफीक दमामी मुसलमान उम्र 34 साल निवासी वार्ड नंबर 12 दमामियों की ढाणी राजगढ ने इस आरोप का मामला दर्ज करवाकर बताया है कि मोहल्ले की आंगनवाडी कार्यकर्ता अंजना ने मार्च 2024 में उसे वह उसके मोहल्ले की महिला सकुरा बानो पत्नी नासिर, सलमा पुत्री अब्दुल शकूर, आमीना पत्नी अली शेर, महम बानो पत्नी यासीन, गुड्डी पत्नी सगीर, आशा पत्नी विजय नायक, आमीना पत्नी लाल मोहम्मद, रोशनी पत्नी सलीम, समीम पत्नी बाबू खा, हेमा, बेबी, सुमन व सलमा को कहा कि तुम लोगों को घर बैठे पैकिंग का काम करवा दूंगी। जिसके लिए पांच सौ रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। तब हम सभी ने काम के लिए हां कर दी। तो अंजना ने कहा कि इसके लिए खाता खुलवाना पडेगा तथा सभी को एक-एक अपने नाम की नई सिम लेनी पडेगी। हमने खाता खोलने में सिम के लिए हां नहीं की तो अंजना ने कहा कि वह खाता खोलने वाले तथा सिम देने वालों को आपके पास यहां बुला लेगी, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। बस आप तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वगैरह तैयार रखना। दर्ज मामले में बताया कि उसके दो-तीन दिन बाद अंजना ने उनके कागज लेकर अपने घर बुलाया तथा कहा कि एक्सिस बैंक के खाता खोलने वाले तथा सीम देने वाले आए हैं। अंजना के घर पहुंचने के बाद दो लोगो ने एक-एक मशीन पर उनके अंगूठे लगवाए तथा फोटो खींची, उनके कागजात पर हस्ताक्षर करवा दिए, एक फार्म पर भी साइन करवा लिए। दर्ज मामले में बताया कि करीब चार महीने बाद अंजना ने सभी महिलाओं के खाते के कागज वगैरा एक लिफाफे में डालकर गली में खेल रहे बच्चों को देकर चली गई, तब उन्होंने देखा कि लिफाफा में उनके नाम की पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड तथा सिम कार्ड आदि हैं, लिफाफा खुला हुआ था। उसके बाद वे सभी औरतें अंजना के घर गई तथा इस तरह कागज बच्चों को देकर जाने बाबत ओर खुले हुए लिफाफे देकर जाने की शिकायत की तो उन्हें कहा कि इन सभी खातों को तुरंत बंद करवा दो, यह किसी काम के नहीं है। जिस पर उन्हें शक हो गया कि अंजना ने जरूर उनके साथ कुछ गलत किया है। दर्ज मामले में बताया कि घटना के बाद उन्होंने अपने परिजनों और घर वालों को आप बीती घटना की जानकारी दी तथा एक्सिस बैंक गए तथा उनके खाते की डिटेल व पासबुक मांगी तो उन्हें पता चला कि उनके खाते में काफी रुपए का लेन-देन हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने खाटूश्यामजी मंदिर में किए दर्शन

सीकर । संसदीय कार्य,विधि एवं विधिक कार्य विभाग, न्याय विभाग मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को सीकर जिले के श्रीखाटूश्यामजी मंदिर में पहुँच कर दर्शन किए। उन्होंने खाटूश्यामजी मंदिर में बाबा श्याम की विधिवत पूजा-अर्चना कर देश-प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के विकास को समर्पित ऐतिहासिक बजट दिया है। इस बजट में जन आस्था के केंद्र खाटूश्यामजी मंदिर को भव्यता एवं श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, जिससे प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। साथ ही इस बजट में सीकर जिले के जीणमाता एवं शाकंभरी माता मंदिर में भी जीर्णोद्धार एवं विकास संबंधी कार्य करवाए जायेंगे।संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि खाटूश्यामजी मंदिर न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण देश में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ आने वाले भक्तों को सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान मंदिर कमेटी के प्रताप सिंह चौहान साथ रहें।

कार्यालय ग्राम पंचायत सालासर, पंचायत समिति सुजानगढ़ (चूरू)

क्रमांक :- ग्रा.प./सा./2024/ दिनांक :- 07.11.2024

आपत्ति नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भंवरलाल ढाका व श्रीराम पुत्रगण रामेश्वरलाल ढ़ाका जाति जाट निवासी सालासर पंचायत समिति सुजानगढ़ जिला चूरू द्वारा ग्राम पंचायत सालासर द्वारा जारी पट्टा सं. B-26 पट्टा जारी दिनांक 12.07.1997 पट्टा धारी का नाम श्री भंवरलाल ढाका पुत्र रामेश्वरलाल ढ़ाका जाति जाट निवासी सालासर के नाम से स्थित सम्पति का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन का आवेदन पत्र राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 173 क के तहत प्रस्तुत किया गया है। आवासीय सम्पति का विवरण निम्न प्रकार है।

1. सम्पति का विक्रय विलेख ग्राम पंचायत सालासर द्वारा जारी पट्टा सं. B-26 पट्टा जारी दिनांक 12.07.1997 पट्टा धारी का नाम श्री भंवरलाल ढाका पुत्र रामेश्वरलाल ढ़ाका जाति जाट निवासी सालासर नाम से जारी किया गया है। पट्टाधारी के द्वारा उक्त पट्टाशुदा भूमि में से 1/2हिस्सा रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के माध्यम से श्रीराम पुत्र रामेश्वरलाल ढाका को गिफ्ट किया गया। अतः पट्टा सं. B-26 पट्टा जारी दिनांक 12.07.1997 पर आवेदनकर्ताओं श्री भंवरलाल ढाका व श्रीराम पुत्रगण रामेश्वरलाल ढाका निवासी सालासर पंचायत समिति सुजानगढ़ जिला चूरू का संयुक्त रूप से कब्जा है।

2. आवासीय सम्पति का क्षेत्रफल :- 866.33 वर्ग गज (7797'.03" वर्ग फीट) है।

3. सम्पति के पडौसान :- (क) पूर्वः- चौधरी चेतराम धर्मशाला व नंदलाल सोनी (ख) पश्चिमः- भूखंड भगवानाराम ढाका व जगदीश प्रसाद ढाका (ग) उत्तरः- आम रास्ता व मकानात जगदीश ढाका (घ) दक्षिण :- छोटूसिंह राजपूत व नंदलाल सोनी वगैरह

उक्त पडौसन के मध्य स्थित आवासीय सम्पति के व्यावसायिक सपरिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, विधिक व्यक्ति आदि को कोई आपत्ति हो, तो दिनांक 06.12.2024 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे। समय सीमा समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सालासर
पंचायत समिति,सुजानगढ़

गीता
सरपंच
ग्राम पंचायत सालासर
पंचायत समिति,सुजानगढ़

अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में आवेदन आमंत्रित

पाटन । नीमकाथाना जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर केवल शैक्षिणक पाठ्यक्रमो कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु अध्ययनरत छात्र जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर अध्ययन करते है, उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अन्तर्गत छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश दिनांक से मार्च तक दो हजार प्रतिमाह प्रतिवर्ष अधिकतम 10 माह हेतु दी जावेगी। अभ्यर्थी योजना का लाभ अधिकतम पाँच वर्षों के लिए प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, वह उस जिले की नगरपालिका, नगरपरिषद्, नगर निगम का निवासी न हो तथा अभ्यर्थी के माता-पिता के पास उस जिले के निकाय में स्वयं का मकान न हो, तो ही इस योजना के अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 30/11/2024 हैं। आवेदन हेतु पात्रता / शर्तों हेतु जारी दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की बेबसाईट://... पर उपलब्ध है।

पांच दिवसीय ई-कंटेंट निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ

- ई-कंटेंट से शिक्षक नए तरीकें अपनाकर विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित कर सकते हैं : राठौड़

चूरू । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में मंगलवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में पांच दिवसीय ई-कंटेंट निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए नवीनतम डिजिटल टूल्स का उपयोग करना है।

कार्यशाला में वीडियो, सिमुलेशन, पॉडकास्ट, एनीमेशन और गेम जैसे ई-कंटेंट निर्माण के कई नवीन तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने कार्यशाला का महत्व बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के डिजिटलीकरण और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई है। ई-कंटेंट न केवल छात्रों को शिक्षा का नवीन अनुभव प्रदान करता है, बल्कि उनके समझने के कौशल को भी बढ़ाता है। डिजिटल युग में शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है, कि वे नए तरीकें अपनाकर विद्यार्थियों को आकर्षित कर सकें और शिक्षा को सजीव बना सके। ई-कंटेंट के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि बच्चों के सीखने की रुचि बढ़ेगी। कार्यशाला की रूपरेखा प्रभाग अध्यक्ष और डाइट उप प्राचार्य नरेंद्र उपाध्याय ने प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में शिक्षकों को डिजिटल टूल्स के साथ-साथ शिक्षण शास्त्र की आधुनिक तकनीकों से भी परिचित कराया जा रहा है। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को डिजिटल सामग्री का निर्माण करने में कुशल बनाएगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य संदर्भ व्यक्ति एवं उप प्राचार्य सुनील कुमार शर्मा ने ई-कंटेंट निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी और इसके लाभों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ई-कंटेंट की मदद से बच्चों को विषय वस्तु को गहराई से समझाने में सहायता मिलेगी और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में भी प्रोत्साहन मिलेगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत सालासर, पंचायत समिति सुजानगढ़ (चूरू)

क्रमांक :- ग्रा.प./सा./2024/329 दिनांक :- 07.11.2024

आपत्ति नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राकेश ढ़ाका पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी सालासर पंचायत समिति सुजानगढ़ जिला चूरू द्वारा ग्राम पंचायत सालासर द्वारा जारी पट्टा सं. 27905 पट्टा जारी दिनांक 08.01.2024 पट्टा धारी का नाम श्री राकेश ढ़ाका पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी सालासर के नाम से स्थित सम्पति का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन का आवेदन पत्र राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 173 क के तहत प्रस्तुत किया गया है। आवासीय सम्पति का विवरण निम्न प्रकार है।

1. सम्पति का विक्रय विलेख ग्राम पंचायत सालासर द्वारा जारी पट्टा सं. 27905 पट्टा जारी दिनांक 08.01.2024 पट्टा धारी का नाम श्री राकेश ढ़ाका पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी सालासर नाम से जारी किया गया है।

2. आवासीय सम्पति का क्षेत्रफल :- 164.54 वर्ग गज (1480.92 वर्ग फीट) है।

3. सम्पति के पडौसान :- (क) पूर्वः- बाबूलाल ढाका (ख) पश्चिमः- आम रास्ता (ग) उत्तरः- सामलाती रास्ता (घ) दक्षिण :- मकानात सुरजाराम जाट

उक्त पडौसन के मध्य स्थित आवासीय सम्पति के व्यावसायिक सपरिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, विधिक व्यक्ति आदि को कोई आपत्ति हो, तो दिनांक 06.12.2024 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे। समय सीमा समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सालासर
पंचायत समिति,सुजानगढ़

गीता
सरपंच
ग्राम पंचायत सालासर
पंचायत समिति,सुजानगढ़

डोडा पोस्त चुरा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 7-7 साल का कारावास

सादुलपुर, (निसं)। अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय राजगढ ने लगभग दस वर्ष पुराने डोडा पोस्त चूरा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल के कठोर कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सुनील बसेरा कालरी अपर लोक अभियोजक द्वितीय राजगढ ने मंगलवार दोपहर तीन बजे जानकारी देकर बताया कि प्रकरण अनुसार 30 जनवरी 2014 को सिद्धमुख थाना पुलिस ने सडक आम भादरा में रूटीन चैकिंग शुरू कर रखी थी। तभी सिद्धमुख की ओर से एक दिल्ली नंबर की सफेद रंग की कार तेज गति से आती हुई दिखाई दी। जिस पर पुलिस ने कार चालक को कार को रोकने का संकेत दिया तो कार चालक ने पुलिस को अनदेखा कर कार को तेज गति से भादरा की ओर भाग ले गया।

जिस पर पुलिस को शक होने पर लगभग दो किलोमीटर तक कार का पीछा किया तथा ऑवरटेक कर कार को रोकने में सफलता प्राप्त की। जिस पर कार में बैठे व्यक्ति कार चालक ने अपना नाम जगदेव सिंह पुत्र बलवीन्द्र सिंह जट सिख निवासी मलेका सिरसा हरियाणा व परिचालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मुख्तयार सिंह पुत्र रामसिंह बाजिगर निवासी मलेका सिरसा हरियाणा होना बताया। तथा पुलिस ने कार की तलाशी तो कार की डिग्गी में सफेद रंग के तीन प्लास्टिक के कट्टे मिले, जिनको खोलकर देखा तो कट्टों में 40 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त चूरा मिला। जिनका उनके पास कोई परमिट व लाईसेंस नहीं था। जिस पर पुलिस ने मौके पर ही अवैध डोडा पोस्त चूरा सहित कार को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। तथा सिद्धमुख थाना पुलिस ने अभियुक्तगण जगदेव सिंह व मुख्तयार सिंह के खिलाफ 8/15 एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत मामला दर्ज कर मामले की जांच की तथा न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय की विद्वान पीठासीन अधिकारी लतिका दीपक पाराशर ने पत्रावलियों पर आए दस्तावेजों, गवाहों और सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपीगण को 07-07 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

- समीक्षा बैठक में पेयजल, बिजली, चिकित्सा सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई

पाटन। नीमकाथाना जिला कलक्टर शरद मेहरा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया । समीक्षा बैठक में पेयजल, बिजली, चिकित्सा सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई । बैठक में कलक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की ग्राम पंचायतों में कैम्प लगाकर लोगों से पानी से संबिधित समस्याओं पर बात कर समस्या का समाधान करें। श्रीमाधोपुर के वार्डो में गंदे पानी की समस्या का समाधान करने के साथ नीमकाथाना में लाइनों के लीकेज को ठीक करने, गढटकनेत, बाघोली ओर करणपुरा में खराब ट्यूबवैलों को ठीक करवाने सहित नांगल नाथूसर में ट्यूबवैल की केबल चारी की एफआईआर लिखवाने ,जर्जर पानी की टंकियों के मरम्मत के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। नृरसिंहपुरी में पानी की समस्या पर पंचायती राज विभाग को संबंधित बीडीओं को मौके पर भेजकर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। चला गांव में क्षितग्रस्त पुराने मकानों पर संबधित बीडीओ को मौके पर भेज कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अजीतगढ व थोई में अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम की समस्या के समाधान हेतु अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। विद्युत एवं वन विभाग लादीकाबास ग्राम पंचायत की सांझा की ढाणी में विधुत लाईन डालने के लिए संयुक्त रुप से मौके पर जाकर समस्या का समाधान करे। चिकित्सा विभाग को अस्पताल में लोगों को बहला फूसलाकर बहार जांच करवाने वाले एजेन्टों पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।बैठक में जिला कलक्टर ने पीडब्ल्यूडी को सडकों के अधुरे पडे कामों को जल्द पूर्ण करने, पेचवर्क कार्य पूर्ण करवाने के साथ ही सडकों के किनारे पेडों की टहनियों को हटवाने तथा रायपुर जागीर में अधूरे सडक निमार्ण को जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज की उपलब्धता रखने तथा खाद-बीज की कालाबाजारी नहीं हो, इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करने के बारे में निर्देशित किया। पेंशन के बकाया प्रकरण जिन का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तथा माइग्रेट लोगों की सूची तैयार कर प्रकरणों का निस्तारण जल्द करने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ शाख ने विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल की शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करने ई-फाइल निस्तारण के संबंध में निर्देशित किया कि कोई भी ई-फाइल ज्यादा समय तक लंबित नहीं रहे साथ ही समयावधि का विशेष ध्यान रखा जाए। सीएमओ के अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ ही संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के साथ ही लाईट्स पोर्टल पर न्यायिक प्रकरणों की स्थिति को अपडेट करने एवं जवाबदावा समय पर प्रस्तुत करने एवं अवमानना प्रकरणों एवं पालना से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही कर अपडेट करने के निर्देश दिए।

कार्यालय ग्राम पंचायत सालासर, पंचायत समिति सुजानगढ़ (चूरू)

क्रमांक :- ग्रा.प./सा./2024/348 दिनांक :- 09.11.2024

आपत्ति नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित पट्?टों के आवेदन पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के तहत आपत्तियां आमंत्रित की जा रही है।

क्र. सं.	पट्टा आवेदक का नाम	पड़ोसियों का विवरण			
		उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	रविशंकर पुत्र लिछणा राम भाट	आम रास्ता	मकानातः- भंवरलाल पुत्र रामूराम नायक	मकानात राजू नायक	मकानात मुन्नाराम पुत्र सागरमल
2	सुंडाराम पुत्र सागरमल	मकानातः- परसरामराव पुत्र छोटूराम	आम रास्ता	आम रास्ता	भूमि प्रभुराव पुत्र मूलाराम
3	मूलाराम, सागरमल व हेमाराम पुत्रगण गोरूराम तथा नंदलाल पुत्र सीताराम जाट	मकानातः- गजानंद पुत्र खगाराम	मकानातः- लालचंद व बंशीधर पुत्र मघाराम	आम रास्ता	मकानातः- रतनलाल ढाका
4	रामनिवास पुत्र दुदाराम ढाका	मकानातः- बजरंग ढाका पुत्र दुदाराम ढाका	मकानातः- रामचंद्र ढाका पुत्र दुदाराम	आम रास्ता	मकानातः-शिवपाल व पवन कुमार ढाका
5	रामचंद्र ढाका पुत्र दुदाराम ढाका	मकानातः- रामनिवास पुत्र दुदाराम	मकानातः- सीताराम ढाका पुत्र दानाराम	आम रास्ता	मकानातः-शिवपाल व पवन कुमार ढाका
6	बजरंग ढाका पुत्र दुदाराम ढाका	मकानातः मोहनलाल ढाका पुत्र जालूराम	मकानातः रामनिवास पुत्र दुदाराम	आम रास्ता	मकानातः- रामनिवास ढाका
7	किशनलाल पौद्दार पुत्र सुशील कुमार	आम रास्ता व मकानात रामपाल ढाका	मकानातः-राधेश्याम पुजारी, ओमप्रकाश पुजारी व देवकीनंदन व सुशील पौद्दार	मकानातः- ओमप्रकाश पुजारी	आम रास्ता व बाड़ी चौक

उपरोक्त आबादी भूमि के पट्?टे बनाने के आवेदनों पर आपत्तियां आमंत्रित की जा रही है। इन संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, विधिक व्यक्ति आदि को कई/किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, तो दिनांक 10.12.2024 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति को प्रस्तुत करे। समय सीमा समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सालासर
पंचायत समिति,सुजानगढ़

गीता
सरपंच
ग्राम पंचायत सालासर
पंचायत समिति,सुजानगढ़